

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2022

FORM NO. III

ऊर्ध्व अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम दांतारामगढ

उनवान श्रीमति गीताजली वनाम रुकमणी देवी आदि

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुकदमा नं 61 सन 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लपुहस्ताक्षर जज	संख्या व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये।
25.05.23	<p>प्रार्थीया की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र पाल धायल ने प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर ग्राम पं० लाडपुर में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश करने पत्रावली नियत पेशी से तलब किया जाकर पेश हुयी। वकील प्रार्थीया ने निवेदन किया कि भूमि ख०न० 4107/499, 4262/434, 435, 436, 438, 439, 440, कुल किता-7 कुल रकबा 4.34 है० तन ग्राम खाटुश्यामजी पटवार हल्का खाटु तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करने के प्रतिवादी संख्या 3 को आदेशित किया जावे। अप्रार्थीगण की तामिल का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं० 1 व 2 की तामिल जरिये रजि. एडी. से हुयी है जो सम्यक मानी जाती है बावजूद सम्यक तामिल आदिनांक तक अप्रार्थीगण सं०-1 व 2 अनुपस्थित रहे। किसी प्रकार की कोई आपत्ती या जबाब पेश नही किया है। अप्रार्थी सं०-3 तहसीलदार भूमिधारी ने भी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट पत्थरगढी किया हेतु सहमति प्रदान की है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर सगौर मनन किया गया जिससे प्रार्थना पत्र पत्थरगढी न्यायहित में स्वीकार किया जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर प्रकरण में आदेश इस आशय का जारी किया जाता है कि:-

आदेश

तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि तन ग्राम खाटुश्यामजी तहसील दांतारामगढ, जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख0न0 4107/499, 4262/434, 435, 436, 438, 439, 440, कुल किता-7 कुल रकबा 4.34 है0 का रूबरू पक्षकारान यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो सीमा कायम करते हुए पैमाईश कर कब्जा व मौका की स्थिति में कोई परिवर्तन किये बिना पत्थर गढी करावें। तहसीलदार खाटुश्यामजी को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमें आम सुनाया गया।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी किया गया।

25/5/23.

(राकेश कुमार।।)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ  
दांतारामगढ(सीकर)